Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to hand over the acquired land after the completion of mining projects to the original land-owners.

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): संविधान में लोगों को अधिकार है कि उनकी जमीन जो कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, अभ्रक, ग्रेनाईट, चूना, पत्थर इत्यादि के उत्पादन और उत्खनन के लिए अधिग्रहीत की जाती है, वह परियोजना समाप्त होने पर मूल रैयत को वापस मिले क्योंकि खनन कार्य समाप्त होने पर वह भूमि बेकार पड़ी होती है एवं उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। साथ ही साथ पर्यावरण को गंभीर खतरा बना रहता है और स्थानीय लोगों में हमेशा किसी न किसी अप्रिय घटना होने का डर भी बना रहता है। अधिग्रहीत भूमि को परियोजना के समाप्त होने के बाद दोबारा मूल रैयत को वापस किया जाना चाहिए इससे खाली जमीन का सदुपयोग किया जा सकेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भूमि अधिग्रहण जिन परियोजनाओं के लिए किया जाता है उनके समाप्त होने पर भूमि को अविलंब मूल रैयत को वापस किये जाने का कार्य निर्देश राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार को दिया जाये।